पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़
पीठासीनअधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -408/2024

अनवान :

मोहित गोदारा पुत्र जसवीरसिह जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1.जसवीरसिह पुत्र मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2.पूनम पुत्री जसवीरसिह जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :-वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिह :-प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 22/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 8 आर.डबल्यू डी ए के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं0 19/14 में कुल 9.920 है0 आराजी में प्रतिवादी सं0 1 जसवीरसिह के नाम से 1/2 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 8 आर.डबल्यू डी ए के खाता सं0 19/14 मे से प्रतिवादी सं0 1 जसवीरसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner